गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

ई–नीलामी की सूचना

"एक जनपद एक उत्पाद" को प्रोत्साहन देने हेतु रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्कों को ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 30/04/2026 से दिनांक 15/05/2026 तक आनलाइन पंजीकरण खोला जा रहा है। उक्त अवधि में आनलाइन पंजीकृत आवेदकों के मध्य दिनांक 20/05/2026 को ई–नीलामी सम्पन्न होगी । ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम शर्ते व अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट **www.gdagkp.in** पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई–नीलामी देखते रहें, अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नही दी जायेगी । आवेदन पत्र आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा । कियास्कों का आवंटन मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन की जायेगी ।

(पुष्पराज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव

(आनन्द वर्द्धन)
आईए0एस0
उपाध्यक्ष

"एक जनपद एक उत्पाद" को प्रोत्साहन देने हेतु मिट्टी के बर्तन (टैराकोटा) उत्पाद की बिक्री के लिए रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्कों को ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम व शर्ते निम्नवत है :–

1– कियास्क का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षो के लिए किराये पर किया जायेगा ।

2– आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए । शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है।

3– आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि कर चूककर्ता नही होना चाहिए ।

4– आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजलगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया हो।

5– "एक जनपद एक उत्पाद" को प्रोत्साहन देने हेतु मिट्टी के बर्तन (टैराकोटा) उत्पाद की बिक्री के लिए कियास्क सं0–01 क्षेत्रफल 14.92 वर्ग मीटर एवं मिट्टी के बर्तन (टैराकोटा) उत्पाद को बनाने के लिए कियास्क सं0–02 क्षेत्रफल 4.39 वर्ग मीटर का किराया पद्धति पर आवंटन किया जायेगा । अन्य किसी प्रकार के व्यापार अनुमन्य नही होंगे तथा निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कियास्क का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।

6– कियास्क सं0–01 के लिए जमानत धनराशि रू0–1,33,700.00 एवं कियास्क सं0–02 के लिए जमानत धनराशि रू0–53,500.00 आवेदक को ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा करना होगा ।

7– कियास्क सं0–01 का न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया प्रतिमाह रू0–20,450.00 एवं कियास्क सं0–02 का न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया प्रतिमाह रू0–6,050.00 है।

8– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलामी में भाग ले सकेगा।

9– निविदा की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा ।

10– कियास्क का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा ।

11– ई–नीलामी में उच्चतम बोली बोलने के पश्चात् वांछित धनराशि जमा किये जाने पर सम्पूर्ण जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

12– कियास्क का किराया विलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा ।

13– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर कियास्क का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

14– कियास्क के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

15– कियास्क के 06 माह का किराया जी0एस0टी0 सहित अग्रिम के रूप में जमा करके पंजीकृत इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात् ही कब्जा दिया जायेगा ।

16– ई–नीलामी में असफल बोलीदाता कोउनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि में से प्रशासनिक व्यय रू0–1,000.00 मात्र की कटौती के उपरान्त अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

17– कियास्क में किसी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कियास्क का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी किरायेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन/किरायेदारी उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

18– किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा ।

19– कियास्क में विद्युत/पानी कनेक्शन लेने तथा कियास्क व उसके आस–पास साफ–सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा ।

20– कियास्कों का आवंटन मा0 एन0जी0टी0 के निर्णय के अधीन की जायेगी ।

राजस्व लिपिक

सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

''एक जनपद एक उत्पाद'' को प्रोत्साहन देने हेतु रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्‌दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में) 02 कियास्कों को ई–नीलामी के माध्यम से मासिक किराये पर प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर ।

योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	प्रति कियास्क का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम आरक्षित मासिक किराया प्रतिमाह (रूपये में)		कियास्क का प्रयोग
रामगढ़ताल परियोजना स्थित (मोहद्‌दीपुर आर0के0बी0के0 के बगल में)	कियास्क सं0–01	14.92	20,450.00	1,33,700.00	मिट्‌टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद के बिक्री हेतु
	कियास्क सं0–02	4.39	6,050.00	53,500.00	मिट्‌टी के बर्तन (टेराकोटा) उत्पाद को बनाने के लिए

राममणि
लिपिक

सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर